जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली
बिड आमंत्रण सूचना

क्रमांक/लेखा/2025–26/ 151 दिनांक: 17/06/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पाली न्यायक्षेत्र के निम्न लिखित न्यायालय परिसर में बिल्डिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित स्थलों पर 31.03.2026 तक की अवधि के लिए कैंटीन संचालन हेतु सीलबन्द लिफाफे में बिड आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	न्यायालय परिसर का नाम	क्षेत्रफल	प्रतिमाह अनुमानित किराया	अमानत राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र शुल्क	अवधि	कार्य का विवरण
01	न्यायालय परिसर, जिला न्यायालय पाली	17.837 वर्ग मीटर	15826/–	2840/–	300/–	31.03.2026 तक	कैंटीन संचालन
02	न्यायालय परिसर, सुमेरपुर	60.48 वर्ग मीटर	8436/–	1520/–	200/–	31.03.2026 तक	कैंटीन संचालन
03	न्यायालय परिसर, बाली	78.30 वर्ग मीटर	17448/–	3140/–	300/–	31.03.2026 तक	कैंटीन संचालन

इच्छुक बिडर दिनांक 18.06.2025 से दिनांक 05.07.2025 को 11:30 ए.एम. तक उपस्थित होकर निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाकर बिड प्रपत्र प्राप्त कर सकता है तथा भरी हुई बिड दिनांक 05.07.2025 को 01:00 पी.एम. तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समस्त प्राप्त बिड्स उसी दिनांक को 04:30 पी.एम. पर उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जायेगी। बिड की शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल पर एवं इस कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
पाली।

क्रमांक/लेखा/2025–26/ 152-159 दिनांक: 17/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा), जिला न्यायालय पाली को प्रेषित कर लेख है कि निविदा प्रपत्र लेखा शाखा से निविदा शुल्क सम्बन्धित आवेदक से लिया जाकर निविदा प्रपत्र उपलब्ध करवाया जावें।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सुमेरपुर/बाली को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त बिड की सूचना समस्त सार्वजनिक कार्यालयों/संस्थाओं एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर लगवा कर सूचना इस समिति को प्रेषित करें।
4. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, पाली को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को जिला न्यायालय की वेबसाइट व लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली /न्यायालय परिसर बाली/सुमेरपुर

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
पाली।

–:जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली:–

Canteen संचालन हेतु संविदा की आवश्यक शर्ते

1. कैंटीन जहाँ है एवं जैसी है. की स्थिति में 31.03.2026 तक के लिये अनुज्ञप्ति पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है ।
2. बिडर द्वारा अग्रिम अमानत राशि बिड आमंत्रण सूचना में वर्णित अनुसार राशि जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली के नाम जारी) आवेदन पत्र के संलग्न आवश्यक रूप से जमा करवाने होंगे, जो असफल बिडर को नियमानुसार वापिस कर दिये जायेंगे तथा सफल रहने पर अग्रिम अमानत राशि, धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी। उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
3. सफल बिडर को अनुमानित किराये का 5 प्रतिशत (स्वयं के द्वारा लगाई गयी बोली की राशि अनुसार) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाना होगा। उक्त राशि कैंटीन को पुनः जिला न्यायालय पाली को सुपुर्द करने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
4. सफल बिडर द्वारा प्रतिमाह किराया अग्रिम रूप से जमा कराया जाना होगा ।
5. सफल बिडर को प्रतिभूति राशि कार्यादेश प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के अंदर जमा करवानी होगी एवं अनुबन्ध पत्र 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करवाना होगा ।
6. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति बिड में भाग नहीं ले सकता है। इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ बिड में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवाकर सलंग्न करना होगा तथा साथ ही पुलिस वेरिफीकेशन रिपोर्ट भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि आवेदन के समय पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो आवेदन पत्र के साथ एक शपथ–पत्र देना होगा कि यदि बोलीदात्ता को कैंटीन आवंटित होती है तो सफल बिडर को कार्यादेश के 15 दिवस के भीतर स्वयं की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देगा।
7. सफल बिडर केटिन में नियुक्त किये गये कर्मियों के चाल–चलन एवं चरित्र के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। कर्मियों के चाल चलन एवं चरित्र से संबधित पूर्व में यदि कोई आपराधिक रिकार्ड रहा हो तो उसे इस कार्य के लिये नहीं लगाया जावेगा।
8. **पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)**

A. निविदा, फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का आवेदन भरने हेतु फर्म के निदेशकों /प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

B. पंजीकरण:–

(a) बिडर/फर्म को और खनपान/कैंटीन सेवाओं के लिये खाद्य लाइसेंस राजस्थान/अन्य राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के तहत जारी किया गया लाईसेंस होना चाहिये एवं यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2005 (FSS Act, 2006) के नियम/उपनियमों एवं आदेशों की पालना करेगा।

(b) बिडर/फर्म आयकर, जीएसटी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(c) पंजीकरण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये, जिसके अभाव में बिड निरस्त की जा सकेंगी।

C. <u>कार्यानुभव</u>:– कैंटीन/रेस्टोरेंट का आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी सरकारी विभाग, न्यायालय, सरकारी/अर्द्ध सरकारी उपक्रम, विद्यालय, अस्पताल या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्थान पर कैंटीन संचालन का कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण स्वरूप उचित दस्तावेज आवेदन के संलग्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिल्डिंग कमेटी कार्यानुभव मे छूट देने हेतु स्वतंत्र है ।

D. मूल्यः– बिडर को बिड प्रपत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क रूपये एवं अमानत राशि रूपये as per bid आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी, जिसे बिना आवेदन निरस्त समझा जायेगा।

E. अन्य वांछित दस्तावेज

(a) प्रत्येक बिडर को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/पेनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(b) फर्म के नाम से आवेदन करने पर अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड/पेनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं साथ ही फर्म की जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं वांछित कार्य करने हेतु आवश्यक लाईसेंस की प्रति संलग्नकरनी होगी।

(c) प्रत्येक बिडर को, आवेदन पत्र के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरसुदा जारी करवा कर संलग्न करना होगा।

F. अनुलग्नकः– बिडर अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलंक) में undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से आवेदन के साथ लगाये गये प्रण्त्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लिखित करेगा साथ ही बिडर यह भी प्रमाणित करेगा कि बिडर को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।

9. **कैंटीन में शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी खाद्य सामग्री की ही बिक्री की जायेगी** एवं बिक्री किये जाने वाले सभी खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों की बिक्री कार्यालय के सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा अनुमोदित की गई दर अनुसार की जायेगी। केंटिन में बेची जानी वाली वस्तुओं की मूल्य सूची उचित स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी साथ ही केंटीन में बेची जाने वाली वस्तुत की कीमतें उद्धृत मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होना चाहिये। दरों में आवश्यक बदलाव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।
10. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में तैयार की जाने होगी एवं इनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली एवं खाद्य मानकों के अनुरूप होनी चाहिये।
11. कैंटीन में गर्मीयों में बाटर प्यूरीफायर/फोल्टर से प्रातः पानी पीने के लिये ठण्डे पानी की व्यवस्था करनी होगी।
12. कैंटीन में दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय, कॉफी कोल्ड ड्रिंक आदि की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है खादय पदार्थों की खपत के लिये कोई न्यूनतम गारंटी नहीं दी जायेगी।
13. जिस उद्देश्य हेतु कैंटीन किराये पर दी जायेगी, वह कैंटीन उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं।
14. रसोई,डाइनिंग हॉल, बर्तन एवं बर्तन धोने की जगह को हमेशा साफ–सुथरी होगी चाहिये। प्रत्येक भोजन (नाश्ते एवं दोहपर के भोजन) के बाद सभी प्लेटें, पानी की गिलास, जग, कप, कटोरी कांटे चाकू आदि साबुन के घोल और पानी से साफ किये जाने चाहिये और सुखाकर अगले भोजन के लिये तैयार रखे जाने चाहिये। खाना पकाने के लिये उपयोग में लिये गये बर्तन भी इसी प्रकार साबुन के घोल और पानी से साफ किये जाने चाहिये।
15. कैंटीन में एकत्र किये गये बायो–डिग्रेबल कचरे एवं गैर–बायो–डिग्रेबल कचरे के संग्रहण की अलग–अलग व्यवस्था होनी चाहिये एवं नगर निगम पाली द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कूड़ा–कचरा डाला जायेगा।
16. सफल बिडर कैंटीन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही केटीन की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।
17. बिडर का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व कैंटीन हेतु निर्धारित स्थान का पूर्ण निरीक्षण कर लें ।
18. कैंटीन आवंटन सर्वप्रथम 31.03.2026 तक के लिये किया जायेगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम तीन माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला न्यायालय पाली का होगा।
19. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा कैंटीन आवंटी को विद्युत, इन्टरनेट एवं फोन कनेक्शन स्वयं के खर्च पर एक माह के भीतर प्राप्त करना होगा।
20. कैंटीन का कब्जा सफल व्यक्ति/फर्म को तभी दिया जायेगा, जब उसके द्वारा समस्त शुल्को (अग्रिम जमानत/धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि एवं आवेदन शुल्क) का पूरा भुगतान कर दिया गया हो।

21. कैंटीन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवंटनकर्ता की होगी तथा जिला न्यायालय पाली किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
22. कैटीन का संचालन कार्यालय समय से एक घण्टा पूर्व से लेकर एक घण्टा पश्चात तक किया जायेगा। इसके पश्चात संचालन नहीं किया जायेगा, अन्यथा यह आवंटन निरस्तीकरण का आधार बन सकता है।
23. कैंटीन में बैठने एवं खाने–पीने हेतु पर्याप्त मात्रा में टेबल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हवा हेतु पर्याप्त मात्रा में पंखे–कूलर इत्यादी की व्यवस्था करनी होगी।
24. सफल बिडर अनुबन्ध में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के प्रावधानों की पालना किये जाने में विफल रहता है तो कार्यालय अगले सफल बिडर किसी अन्य बाहरी एजेन्सी के साथ अनुबन्ध किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अन्तर की राशि सफल बोलीदाता से वसूल किया जायेगा।
25. जिस व्यक्ति को कैंटीन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह कैंटीन संचालन हेतु नहीं देगा।
26. जिला न्यायालय पाली को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में किसी भी Canteen का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
27. यदि बिडर द्वारा उपरोक्त निर्धारित शतों की अनुपालना नहीं की जाती है तो जिला न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
28. अनुबन्ध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर जिला न्यायालय, पाली का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार/बोलीदाता को मान्य होगा। सभी कानूनी कार्यवाहियां, यदि उत्पन्न हो, तो उनकी दायरी/विचारण/सुनवाई का क्षेत्राधिकार पाली शहर में स्थित सक्षम न्यायालय का होगा।
29. न्यूनमत दैनिक मजदूरी ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा अपने कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी। इस संबंध में समय समय पर जारी सभी राजकीय अनुदेशों की पालना की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वर्तमान में वित विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 संख्या 1/2018 दिनांक 30–04–2018 की पालना करना जरूरी होगा।
30. बाल श्रमिकों को संविदा कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।
31. कैटिन में कार्यालय द्वारा स्थापित के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अग्निशमन यंत्र लगाने होगें।
32. सफल बिडर, यदि अनुबन्ध की बीच में छोड़कर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध की नियम–शतों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति/ जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।
33. जिला न्यायालय पाली को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
34. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनों पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सामान्य लेखा एवं वितीय नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा।
35. अन्य शर्त इस कार्यालय द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 14/एस.ओ/2021 दिनाक 21.12.2021 (कार्यालय की वेबसाइट उपलब्ध) जारी "GUIDELINES FOR ALLOTMENT AND USE OF BUILDING/SPACE IN COURT PREMISES FOR PUBLIC UTILITY SERVICE-2021 के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्ठों में वर्णित विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्ते लागू होगी एवं अनुज्ञप्ति उक्त उपबंध व शर्तों एवं नीलामी के साथ लगें अनुग्लंक–2 के अनुसार होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष, बिल्डिंग समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
पाली।

आवेदन पत्र संख्या

शुल्क रूपये

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)

आवेदन पत्र

01.	कैंटीन का स्थान पाली / बाली / सुमेरपुर	
02.	प्रार्थी का नाम	
03.	पिता / पति का नाम	
04.	फर्म का नाम	
05.	पता	
06.	मोबाईल नम्बर	
07.	ई–मेल आई.डी.	
08	FSS Act 2006 license number	
09	GST No.	
10	यदि आवेदन पत्र वेबसाईट से डाउन लोड किया गया है तो	i) DD No. Date ii) Rs. iii) Name of Bank
11	अमानत राशि (Earnest Money) as per bid	i) DD /Cash Receipt No. Date ii) Rs. iii) Name of Bank
12	बोली की राशि (प्रतिमाह) as per bid	रूपये /– प्रतिमाह

मैने / हमने बिड में वर्णित सभी सुसंगत नियमों एवं शर्त्तों को अच्छी तरह से पढ लिया है तथा मैं / हम उक्त नियम और शर्त्तों से पूर्णतया सहमत हैं । इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद एवं विधिक दायित्व के लिये मैं / हम स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदनकर्त्ता

DISTRICT AND SESSIONS COURT, PALI

घोषणा–पत्र

(फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

मेरे/हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली के बिड आमंत्रण सूचना क्रमांक दिनांक तथा इसके संलग्न समस्त प्रपत्रों, जानकारी एवं शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि बिड आमंत्रण सूचना के सम्बन्ध में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश पाली का निर्णय हमारे लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। उक्त कार्य से सम्बन्धित हमारे यहाँ अनुभवी कर्मचारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत (Earnest Money)/प्रतिभूति (Security Deposit) को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

दिनांक :
स्थान :
हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
मय पता सील मोहर

DISTRICT AND SESSIONS COURT, PALI

General Terms and Conditions for Canteen

1. **Eligibility for running a canteen**
The bidder must have an experience of running Canteen in Goverament Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.

2. **Price of Food Items**
(i) Before initial setup of the Canteen, the vendor shall submit the list of food items to be sold in the canteen with their quantity and proposed price for approval of Building Committee.
(ii) Food hems in the canteen shall not be sold for more than the maximum retail price (MRP) or the price so approved by Building Committee from time to time.
(ii) No item other than those approved by Building Committee shall be sold in the canteen
(iv) The price of various food items could be revised only after the prior approval of Building Committee.

3. **Display of Price List**
The allottee shall display the price list of all the food items at a conspicuous place in the canteen.

4. **Quality of Food items in canteen**
(i) The allottee shall maintain all hygiene, cleanliness and quality of food stuff.
(ii) The beverages and food-stuffs may be checked from time to time by Building Committee or with the help of Food Inspector of the area.
(iii) All food safety standards under prevalent Laws, Circulars and Directions shall be followed by the allottee.

5. **Service Conditions of Workmen**
(i) The service conditions safety insurance etc, of the workmen employed in the Canteen shall be governed by the law for the time being in force governing each workmen hiring which appropriate steps may be taken against him including termination of the agreement.

6. **Furniture and other required infrastructure**
Furniture and other infrastructure required for setting up and running the canteen will be arranged by the allottee.

7. Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the District Court without assigning any reasons.

8. Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.